



# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या: लेखा०/२०१८/७५  
दिनांक: ०१-०६-२०१८

सेवामें,

प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष/नोडल अधिकारी,  
सम्बद्ध महाविद्यालय,  
(डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)

**विषय:- पारिश्रमिक देयकों से नियमानुसार टी०डी०एस० कटौती एवं जमा करने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,


कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। परीक्षा के समय में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को अग्रिम/अंतिम भुगतान किया जाता है, जिसमें केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, कक्ष निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी आदि के पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान सम्मिलित रहता है, उन मदों में भुगतान करते समय प्रत्येक से टी०डी०एस० मद में १०% प्रतिशत टी०डी०एस० तथा पेन नम्बर न होने की स्थिति में २०% प्रतिशत आयकर अधिनियम के अनुसार नियमानुसार एवं टैक्सी मद में २% प्रतिशत की कटौती की जाये, तथा सम्बन्धित के पैर पर जमा कराने का कष्ट करें तथा टी०डी०एस० का रिटर्न जमा करें। अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, तथा इस सम्बन्ध में आयकर विभाग को आप द्वारा सूचना देना भी आवश्यक है।

भवदीय

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- माननीय कुलपति जी ।
- 2- कुलसचिव ।
- 3- परीक्षा नियंत्रक ।
- 4- समस्त उपकुलसचिव ।
- 5- एजेन्सी २०१७-२०१८ को इस आशय के साथ प्रेषित कि समस्त महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
वित्त अधिकारी